जगह पर इसका वॉयलेशन हुआ है। हमारी सरकार ने, हमने, पर्यावरण मंत्रालय ने तथा पावर मिनिस्ट्री ने मिल करके जो तय किया, जो एक राय बनी, वह राय हमने कोर्ट के सामने सबमिट कर दी है, जिसमें हमने अपना कमिटमेंट बता दिया है कि मोदी जी की सरकार महामना मदन मोहन मालवीय जी के करार का पूरा पालन करेगी, उसका पूरा ध्यान रखेगी और हम गंगा की अविरलता और निर्मलता को सुनिश्चित करेंगे।

**श्री सुखेन्दु शेखर रायः** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के सिलसिले में सर्वे करने का contract जब किसी दूसरी कंट्री की संस्था को दिया गया, तब हमारे देश की जो केंद्रीय संस्था, केंद्रीय जल आयोग है, उसने इसके लिए अपनी आपत्ति जताई और उसने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम सर्वे का काम कर सकते हैं और अगर आप विदेशी कंपनी को लाते हैं, तो हमारी गंगा के बारे में जो classified information हैं, वे विदेशी संस्था के पास जा सकते हैं? केंद्रीय जल आयोग ने इस तरह की शंका जताई, इसके बावजूद भी इसका contract विदेशी संस्था को क्यों दिया गया?

**सुश्री उमा भारतीः** माननीय सभापति महोदय, जब "नमामि गंगे" कार्यक्रम की घोषणा हुई, तो पूरी दुनिया से प्रस्ताव आए कि हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों, मीडिया, लोकतंत्र के सभी पाये और समाज के सभी वर्गों में बहुत एकता और एकजुटता दिखी। ऐसी एकजुटता विश्व के किसी भी विषय पर नहीं होगी जैसी कि गंगा पर है कि गंगा ठीक होनी चाहिए। यह सबका मनोभाव है।

माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह बात मेरे लिए बिल्कुल नई है, क्योंकि हम बिल्कुल प्रक्रियाओं से चल रहे हैं और हम एक भी जगह पर किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होने दे रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय का ही एक बहुत बड़ा विंग है, बहुत बड़ा वेंचर है। उनकी तरफ से ऐसी कोई बात कभी आई हो, यह अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब माननीय सदस्य ने कहा है, तो उनके पास अगर इस संबंध में ऐसी कोई तथ्यात्मक जानकारी होगी, तो मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करती हूँ कि अगर वे इसको मेरी जानकारी में देंगे, तो मैं उस पर यथोचित कार्रवाई अवश्य करूंगी।

*[प्रश्नकर्ता **(श्री महेंद्र सिंह माहरा)** अनुपस्थित थे।]

## सफाई अभियान हेतु धनराशि का आबंटन

*2. **श्री महेंद्र सिंह माहराः** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राज्यों को सफाई अभियान हेतु धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे भी कोई राज्य हैं जिन्हें उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि आवंटित की गई थी परन्तु अभी तक इसे जारी नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को किन-किन कारणों से धनराशि प्रदान नहीं की गई है?

**पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर):** (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) और (ख) राज्यों को ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने में सुविधा देने हेतु दिनांक 02.10.2014 को सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सुरक्षित स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई अपनाकर लोगों में व्यवहारगत परिवर्तन लाने पर आधारित है। सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईसी) एसबीएम (जी) का महत्वपूर्ण घटक है और राज्य तथा जिला स्तर पर आईईसी पर कुल व्यय का 5% तक खर्च किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत घटक-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, एसबीएम (जी) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संभावित आबंटन का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है **(नीचे देखिए)**।

(ग) और (घ) वर्ष 2016-17 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संभावित आबंटन और जारी निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। कुछ राज्यों को उनके पास उपलब्ध अधिक अव्ययित शेष राशि और उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी)/लेखा परीक्षित खातों का विवरण(एएसए) आदि प्रस्तुत नहीं करने के कारण निधियां जारी नहीं की जा सकीं।

***विवरण-I***

*स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संभावित आबंटन का ब्यौरा*

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम /संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष 2016-17 के लिए संभावित आबंटन |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 135.46 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 48.02 |
| 3. | असम | 480.57 |
| 4. | बिहार | 263.73 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 198.95 |
| 6. | गोवा | 1.63 |
| 7. | गुजरात | 560.99 |
| 8. | हरियाणा | 158.60 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 98.30 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 59.51 |
| 11. | झारखंड | 207.18 |

| क्र.सं. | राज्य का नाम /संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष 2016-17 के लिए संभावित आबंटन |
|---|---|---|
| 12. | कर्नाटक | 253.43 |
| 13. | केरल | 21.26 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 684.47 |
| 15. | महाराष्ट्र | 528.94 |
| 16. | मणिपुर | 54.55 |
| 17. | मेघालय | 151.59 |
| 18. | मिजोरम | 7.98 |
| 19. | नागालैंड | 64.20 |
| 20. | ओडिशा | 917.13 |
| 21. | पंजाब | 49.66 |
| 22. | राजस्थान | 1254.60 |
| 23. | सिक्किम | 11.54 |
| 24. | तमिलनाडु | 537.02 |
| 25. | तेलंगाना | 100.55 |
| 26. | त्रिपुरा | 51.56 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 517.47 |
| 28. | उत्तराखंड | 170.58 |
| 29. | पश्चिमी बंगाल | 657.51 |
| | **कुल** | 8246.96 |

***विवरण-II***

*स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संभावित आबंटन तथा जारी निधियों का ब्यौरा*

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष 2016-17 के लिए संभावित आबंटन | दिनांक 11.7.2016 तक जारी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 135.46 | 67.73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 48.02 | 9.69 |
| 3. | असम | 480.57 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 263.73 | 131.86 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 198.95 | 99.48 |
| 6. | गोवा | 1.63 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 560.99 | 280.49 |
| 8. | हरियाणा | 158.60 | 68.79 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 98.30 | 0.00 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 59.51 | 2.30 |
| 11. | झारखंड | 207.18 | 103.59 |
| 12. | कर्नाटक | 253.43 | 126.71 |
| 13. | केरल | 21.26 | 0.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 684.47 | 342.23 |
| 15. | महाराष्ट्र | 528.94 | 264.47 |
| 16. | मणिपुर | 54.55 | 27.27 |
| 17. | मेघालय | 151.59 | 41.22 |
| 18. | मिजोरम | 7.98 | 0.00 |
| 19. | नागालैंड | 64.20 | 0.00 |
| 20. | ओडिशा | 917.13 | 458.57 |
| 21. | पंजाब | 49.66 | 24.83 |
| 22. | राजस्थान | 1254.60 | 627.30 |
| 23. | सिक्किम | 11.54 | 4.81 |
| 24. | तमिलनाडु | 537.02 | 268.51 |
| 25. | तेलंगाना | 100.55 | 0.00 |
| 26. | त्रिपुरा | 51.56 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27. | उत्तर प्रदेश | 517.47 | 178.67 |
| 28. | उत्तराखंड | 170.58 | 85.29 |
| 29. | पश्चिमी बंगाल | 657.51 | 328.76 |
| | **कुल** | 8246.96 | 3542.57 |

***[The questioner (SHRI MAHENDRA SINGH MAHRA) was absent.]**

**Allocation of funds for cleanliness campaign**

†*2. SHRI MAHENDRA SINGH MAHRA: Will the Minister of DRINKING WATER AND SANITATION be pleased to state:

(a) whether Government has allocated funds to the States for cleanliness campaign during the financial year 2016-17;

(b) if so, the details thereof, State-wise;

(c) whether there are States that have been allocated funds under the above said programme but the same have not been released; and

(d) if so, the names of such States and the reasons for not providing funds?

THE MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) and (b) Swachh Bharat Mission (Gramin) has been launched by the Government on 2.10.2014 to facilitate States in accelerating rural sanitation coverage. The focus of Swachh Bharat Mission (Gramin) is on behaviour change of people to adopt safe sanitation and hygiene. Information, Education and Communication (IEC) is important component of SBM (G) and upto 5% of total expenditure can be on IEC at State and District level. Under Swachh Bharat Mission (Gramin), component-wise funds are not allocated. However, details of State/UT-wise tentative allocation for the year 2016-17 under SBM (G) are given in Statement-I (*See* below).

(c) and (d) Details of State/UT-wise tentative allocation and funds released for the year 2016-17 are given in Statement-II (*See* below). Funds to some States could not be released due to high unspent balance with them and non-submission of Utilization Certificates (UCs)/Audited Statement of Accounts (ASAs) etc.

† Original notice of the question was received in Hindi.

***Statement-I***

*Details of State/UT-wise Tentative Allocation for the year 2016-17 under Swachh Bharat Mission (Gramin)*

(₹ in crore)

| Sl.No. | Name of State/UT | Tentative Allocation for 2016-17 |
|---|---|---|
| 1. | Andhra Pradesh | 135.46 |
| 2. | Arunachal Pradesh | 48.02 |
| 3. | Assam | 480.57 |
| 4. | Bihar | 263.73 |
| 5. | Chhattisgarh | 198.95 |
| 6. | Goa | 1.63 |
| 7. | Gujarat | 560.99 |
| 8. | Haryana | 158.60 |
| 9. | Himachal Pradesh | 98.30 |
| 10. | Jammu and Kashmir | 59.51 |
| 11. | Jharkhand | 207.18 |
| 12. | Karnataka | 253.43 |
| 13. | Kerala | 21.26 |
| 14. | Madhya Pradesh | 684.47 |
| 15. | Maharashtra | 528.94 |
| 16. | Manipur | 54.55 |
| 17. | Meghalaya | 151.59 |
| 18. | Mizoram | 7.98 |
| 19. | Nagaland | 64.20 |
| 20. | Odisha | 917.13 |
| 21. | Punjab | 49.66 |
| 22. | Rajasthan | 1254.60 |
| 23. | Sikkim | 11.54 |
| 24. | Tamil Nadu | 537.02 |
| 25. | Telangana | 100.55 |

| Sl.No. | Name of State/UT | Tentative Allocation for 2016-17 |
|---|---|---|
| 26. | Tripura | 51.56 |
| 27. | Uttar Pradesh | 517.47 |
| 28. | Uttarakhand | 170.58 |
| 29. | West Bengal | 657.51 |
| | TOTAL | 8246.96 |

***Statement-II***

*Details of State/UT-wise Tentative Allocation and releases for year 2016-17 under Swachh Bharat Mission (Gramin)*

(₹ in crore)

| Sl. No. | Name of State/UT | Tentative Allocation for 2016-17 | Release upto 11.07.2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Andhra Pradesh | 135.46 | 67.73 |
| 2. | Arunachal Pradesh | 48.02 | 9.69 |
| 3. | Assam | 480.57 | 0.00 |
| 4. | Bihar | 263.73 | 131.86 |
| 5. | Chhattisgarh | 198.95 | 99.48 |
| 6. | Goa | 1.63 | 0.00 |
| 7. | Gujarat | 560.99 | 280.49 |
| 8. | Haryana | 158.60 | 68.79 |
| 9. | Himachal Pradesh | 98.30 | 0.00 |
| 10. | Jammu and Kashmir | 59.51 | 2.30 |
| 11. | Jharkhand | 207.18 | 103.59 |
| 12. | Karnataka | 253.43 | 126.71 |
| 13. | Kerala | 21.26 | 0.00 |
| 14. | Madhya Pradesh | 684.47 | 342.23 |
| 15. | Maharashtra | 528.94 | 264.47 |
| 16. | Manipur | 54.55 | 27.27 |
| 17. | Meghalaya | 151.59 | 41.22 |
| 18. | Mizoram | 7.98 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19. | Nagaland | 64.20 | 0.00 |
| 20. | Odisha | 917.13 | 458.57 |
| 21. | Punjab | 49.66 | 24.83 |
| 22. | Rajasthan | 1254.60 | 627.30 |
| 23. | Sikkim | 11.54 | 4.81 |
| 24. | Tamil Nadu | 537.02 | 268.51 |
| 25. | Telangana | 100.55 | 0.00 |
| 26. | Tripura | 51.56 | 0.00 |
| 27. | Uttar Pradesh | 517.47 | 178.67 |
| 28. | Uttarakhand | 170.58 | 85.29 |
| 29. | West Bengal | 657.51 | 328.76 |
| | TOTAL | 8246.96 | 3542.57 |

MR. CHAIRMAN: Thank you. Q. No. 2. Questioner not present. Let the supplementaries be asked. Shrimati Viplove Thakur.

**श्रीमती विप्लव ठाकुरः** सभापति महोदय, इन्होंने "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" के अंतर्गत सभी स्टेट्स को पैसा एलॉट किया है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश को 98.30 करोड़ रुपए दिये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि यह किस आधार पर दिया गया है? क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए मांगा था? इसके लिए इन्होंने क्या criteria चुना है और यह पैसा किस-किस काम के लिए दिया गया है? क्या यह पैसा functional toilets के लिए दिया गया है, वाटर के लिए दिया गया है, garbage collection के लिए दिया गया है? यह पैसा किस-किस काम के लिए दिया गया है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि इनमें से कितनी रकम हिमाचल प्रदेश को चली गई है?

**श्री नरेंद्र सिंह तोमरः** माननीय सभापति महोदय, "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" के अंतर्गत राशि का आवंटन उस राज्य की परिस्थिति और उस राज्य की आवश्यकता के आधार पर बनाए गए मानक के अनुसार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को जो राशि आवंटित की गई है, उन्हीं मानकों के अनुरूप की गई है और जब-जब राज्य आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं, समय-समय पर केंद्र के अधिकारीगण राज्य के अधिकारीगणों के साथ बैठते रहते हैं, मंत्रीगण भी सामान्यतः इन बातों के लिए मिलते रहते हैं। जब भी इस प्रकार की आवश्यकता सर्वे के अनुसार बढ़ती है या राज्य की प्रकृति के अनुसार बात सामने आती है, तो उसको बढ़ाने-घटाने के बारे में निर्णय किया जाता है।

**श्रीमती विप्लव ठाकुरः** सर, मैंने तो इसके लिए तय मानक के बारे में पूछा था, लेकिन इन्होंने उसके बारे में तो जवाब दिया ही नहीं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No supplementaries now.

**श्रीमती विप्लव ठाकुरः** सर, मेरा जवाब तो आया ही नहीं। मैंने इसके लिए जो criteria है, उसके बारे में पूछा था। इन्होंने तो उसका जवाब दिया ही नहीं। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापतिः** आप इसको जल्दी से clarify कर दीजिए।

**श्री नरेंद्र सिंह तोमरः** माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी बताया कि राज्य की जनसंख्या और उस क्षेत्र में स्वच्छता के लिए जितने परिवार हैं, उनके लिए टॉयलेट बनना है, सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनना है या जागरूकता के लिए कार्यक्रम करना है, उस आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग राज्य के अलग-अलग परिस्थितियां हैं। जो "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" है, वह निश्चित रूप से समग्र स्वच्छता के लिए काम करता है। उसमें व्यक्तिगत शौचालय का भी निर्माण करना होता है, सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करना होता है और जागरूकता की दृष्टि से भी आम लोग शौचालय का उपयोग करें, इस दृष्टि से उनको तैयार करना होता है। राज्य की जो जनसंख्या है और वहां जो हाउसहोल्ड्स हैं, उनके अनुसार यह तय किया जाता है।

SHRI ANIL DESAI: Sir, the hon. Minister has given a very brief reply to the question asked by the hon. Member. As far as my State, Maharashtra, is concerned, out of ₹ 528.94 crores which had been allocated, only ₹ 264.47 crores have been released up to June, 2016. I want to ask the hon. Minister through you, Sir, that in the reply which he has given, he has stated that the rural sanitation is a very important programme. Information, Education and communication are important components of SBM, Swachh Bharat Mission and upto 5 per cent of total expenditure can be done on IEC. What is being found at the ground level is that in many villages and many household villages, they are asking the authorities that though sanitation is taking place, toilets are being erected, but due to lack of water facility and other facilities, they are of no use, and in no time, the toilet blocks which have been erected, they absolutely become non functional or non-useful for them. So far as Information, Education and Communication are concerned, from the Government side, it is handled by the Centre and at the State level, it is the responsibility of the State and the district level authorities. Is there any monitoring agency or is any monitoring being done as far as this is concerned to see that the programme is taken up very effectively and is useful for the people of the country?

**श्री नरेंद्र सिंह तोमरः** माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से ठीक चिन्ता व्यक्त की है। "स्वच्छ भारत मिशन" एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने के साथ-साथ बहुत व्यापक कार्यक्रम है। सच यह है कि इस अभियान को अगर पूर्णता प्रदान करनी है, तो यह अकेले सरकार के वश की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए सारे समाज को उठकर खड़ा होना होगा। यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके लिए भारत सरकार फंडिंग भी करती है तथा भारत सरकार से जो अन्य प्रकार की अपेक्षाएं हैं, उन्हें भी वह पूरा करने का प्रयत्न करती है। लेकिन इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों और वहां की पंचायती राज व्यवस्था के

माध्यम से समाज को साथ लेकर करना होता है। यह प्रक्रिया "निर्मल भारत अभियान" के माध्यम से भी कुछ दिनों तक चली, लेकिन उस समय तक लोग इससे ज्यादा अवेयर नहीं थे, इसलिए उस दौरान कई प्रकार की शिकायतें भी आई थीं। जब प्रधान मंत्री जी ने 2 अक्टूबर, 2014 को इसको प्राथमिकता पर लिया और मिशन मोड पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग-अलग करके स्वच्छता अभियान को आरंभ किया, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि यह केंद्र सरकार के लिए एक प्राथमिकता का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ यह कार्यक्रम राज्य, पंचायती राज संस्थाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों में भी एक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है।

जहां तक धनराशि का सवाल है, तो महाराष्ट्र के लिए कुल 528.94 करोड़ रुपये की राशि संभावित की गई है, जिसमें से 264.47 करोड़ रुपये की राशि रिलीज़ कर दी गई है। अभी जून माह समाप्त ही हुआ है, इसके बाद अभी और राशि दी जानी है। जैसे-जैसे वहां से उपयोगिता प्रमाण-पत्र आता रहता है, वैसे-वैसे केंद्र सरकार की ओर से राशि निर्मुक्त कर दी जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के साथ-साथ सदन से भी यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम बहुत ही व्यापक एवं महत्वाकांक्षी है और अगर इसको हम सब मिलकर पूरा कर सकेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए मैं आप सब से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I would just like to draw the attention of the Minister to a specific point. The programme is quite laudable, taken up to link the toilet in habitation. But the success of all this is linked to the availability of water connection. Otherwise, you build a toilet and it goes on and on, particularly, even in Maharashtra that is being identified. I am telling you particularly in hilly States like Uttarakhand and Himachal Pradesh where the habitation and the source of water are located at different places, they have to go near the source of water to collect water and then proceed further. In that event, insisting on toilet in the house is not correct. It is noted that in respect of other social welfare benefits, the local administration is telling them that since you are not having a toilet, you will not get this benefit. It has gone to that extent. Reverse fanaticism is developing. The Department of Drinking Water and Sanitation, both the departments, are under the charge of the Minister. Habitation with water connectivity and toilet, that needs to be integrated if this laudable programme has to meet success. Otherwise, it will remain the subject of advertisement and the subject of statistical information that so many toilets have been built. What is the usability of that? That also needs to be dealt with for proper utilization of the resources. Will the hon. Minister kindly respond whether they will be taking such an integrated approach?

**श्री नरेंद्र सिंह तोमरः** माननीय सभापति महोदय, मैं तपन कुमार सेन जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। यह सच है कि शौचालयों को निरंतर संचालित किया जाना है, उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाना है और इसके लिए जल की आवश्यकता है। अभी अनेक स्थानों पर जल

का अभाव है, लेकिन सभी स्थानों पर जल की सुनिश्चितता बढ़े, इस दृष्टि से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों मिलकर चिंता भी कर रही हैं और पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता हो सके, इस दृष्टि से आने वाले कल में जो आवश्यकता होगी, उसके संबंध में भारत सरकार प्रयास करेगी।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Particularly, in the hilly States, you need special attention where there are problems of general rural habitations and lack of water connectivity. This is the real problem there.

MR. CHAIRMAN: Let him answer.

**श्री नरेंद्र सिंह तोमरः** माननीय सभापति महोदय, सामान्यतः जब भी ग्रामीण विकास के इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की गयी है, चाहे वह पेयजल हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे आवासीय क्षेत्र के कार्यक्रम हैं, इन सबके लिए राशि के आवंटन की दृष्टि से भी इस बात की चिंता की गयी है कि hilly क्षेत्रों में अधिक आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे कि मैदानी इलाकों में सब जगह 60:40 का रेश्यो आता है, लेकिन hilly क्षेत्र और विशेष क्षेत्रों में हम लोग 90:10 के रेश्यो में काम करते हैं। यह इस बात का प्रकटीकरण है कि hilly क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

## प्रत्येक गांव को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ना

*3. **श्री राम नाथ ठाकुरः** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हर गांव को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ने का संकल्प लिया था;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऐसी कितनी सड़कें गत चार वर्षों से निर्माणाधीन हैं, जिनका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ऐसी सभी सड़कों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी और क्या निर्धारित समयावधि के भीतर ऐसी सड़कों का निर्माण न कर पाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव):** (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

### *विवरण*

(क) से (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी मैदानी क्षेत्रों में जनगणना 2001 के अनुसार 500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाली पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों (आवश्यक पुलियों और पारगामी निकासी (क्रास-ड्रेनेज) ढांचों, जो साल भर काम करने के लायक हो, के साथ), के जरिए एकल सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं उत्तराखंड) मरूभूमि